



भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department
Regional Office, Chandigarh

लाइसेंस सं. ग्राआरूवि. सीएचडी. एफटी. (हरि) 07
दिनांक: 30 मई 2012

(संदर्भ: लाइसेंस सं. ग्राआरूवि. न. दि. एफ टी- 001
दिनांक 7 मार्च, 2011)

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पठित धारा 22(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फतेहाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक लि., विपरीत एम.एम. कॉलेज, सिरसा G.T. रोड, फतेहाबाद - 125050 (हरियाणा), को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल हरियाणा राज्य में जिला फतेहाबाद तक ही सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के ठीक बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

Licence No. RPCD.CHD.FT.(HR) 07

Dated : May 30, 2012

(Ref: Lic. No.RPCD ND FT-001 dated March 07, 2011)

In exercise of the powers conferred on Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(O) of the Banking Regulation Act, 1949, The Fatehabad Central Co-operative Bank Ltd., Opp. M.M. College, Sirsa G.T. Road, Fatehabad-125050, Haryana, is hereby granted a licence to commence and carry on banking business subject to the following conditions:

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to the District Fatehabad in Haryana.

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business / date following the receipt thereof.

(मेघ राज गर्ग / Megh Raj Garg)

उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

This license has been issued in lieu of the the licence issued earlier by New Delhi office vide RPCD ND. FT-001 dated March 07, 2011.